आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
19.07.2019	<u>न्यायालय जिला पदाधिकारी, पूर्णिया</u> **सेवा अपील वाद संख्या-80/2018** 1. अमना खातून, पति मो0 अख्तर आलम, सा0-देवीनगर पीपर टोला, थाना-के0नगर (श्रीनगर), जिला-पूर्णिया। ..... अपीलार्थी **बनाम** 1. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया। 2. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, के0 नगर। 3. महिला पर्यवेक्षिका-सह-सदस्य सचिव, चयन समिति। 4.सेफाली खातून, पति मो0 ताहिर, सा0-देवीनगर पीपर टोला, थाना-के0नगर(श्रीनगर), जिला-पूर्णिया। 5. वार्ड सदस्य वार्ड सं0-02 चयन समिति अध्यक्ष। 6. वार्ड पंच, वार्ड सं0-02 चयन समिति उपाध्यक्ष। ..... विपक्षीगण <u>आ दे श</u> प्रस्तुत अपील वाद **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया** के **ज्ञापांक-1693/जि0प्रो0, दिनांक-22.11.2018** के विरूद्ध दायर किया गया है। यह मामला **आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड सं0-02, पंचायत-खुट्टीहसैली, परियोजना-श्रीनगर** के **सेविका** पद से संबंधित है। अपीलार्थी द्वारा समर्पित अपील आवेदन का अवलोकन किया। उनका मुख्य रूप से कथन है कि प्रश्नगत आंगनबाड़ी केन्द्र अन्तर्गत सेविका चयन हेतु आवेदन दिया गया था जिसके मेधा सूची में अपीलार्थी का प्रथम स्थान है, परन्तु अपीलार्थी के नाम एवं हस्ताक्षर में भिन्नता बताकर मेरे चयन को रद्द कर दिया गया, जबकि अपीलार्थी सही प्रमाण पत्र के साथ आवेदन दी थी। निम्न न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है। उनके द्वारा मेधा सूची के प्रथम स्थान प्राप्त अभ्यर्थी को दरकिनार कर कम	

अंक वाले अभ्यर्थी का चयन करा दिया गया, जबकि चयनित अभ्यर्थी विपक्षी सं0-04 चयन की योग्यता नहीं रखते हैं। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि उनके नाम में एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र में किसी प्रकार का मूलभूत भिन्नता नहीं है। अतएव न्यायालय से अनुरोध है कि अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए विपक्षी सं0-04 का चयन रद्द करने की कृपा की जाए।

विपक्षी सं0-04 से प्राप्त कारण पृच्छा का अवलोकन किया। उनका मुख्य रूप से कथन है कि अपीलार्थी द्वारा दाखिल प्रमाण पत्र में तथा उनके नाम में मेल नही खाता है। समर्पित जाति एवं निवास प्रमाण पत्र में उनका नाम आमेना खातून दर्ज है, जबकि प्रमाण पत्र में आमना खातून दर्ज है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि आमेना खातून एवं आमना खातून दोनो एक ही महिला है। निम्न न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है तथा अपील आवेदन पोषणीय नहीं है। अतएव अपील आवेदन निरस्त करने की कृपा की जाए।

इस वाद में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक 63/जि0प्रो0 दिनांक 11.01.19 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तथ्यात्मक प्रतिवेदन में कोई नया तथ्य नहीं लाया गया है, बल्कि ज्ञापांक 1693/जि0प्रो0 दिनांक 22.11.18 में पारित आदेश के बिन्दुओं को ही लाया गया है।

उभय पक्षों द्वारा समर्पित कागजात् उनके विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन एवं प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अपीलार्थी मेधा सूची में प्रथम स्थान पर हैं। जहाँतक अपीलार्थी के नाम (आमना खातून, **Amna Khatoon**, आमेना खातून) में भिन्नता की बात है, जो लिपीकीय भूल प्रतीत होता है। सुनवाई के क्रम में विपक्षी सं0-04 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी यह स्वीकार किया गया कि नाम में अन्तर है, परन्तु अपीलार्थी एक ही व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च मेधा सूची को दरकिनार कर कम अंक के अभ्यर्थी का

चयन विधिसम्मत नहीं है ।

अतः **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक 1693/जि0प्रो0 दिनांक 22.11.2018** में पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा विपक्षी सं0-04 का चयन रद्द किया जाता है । आदेश की प्रति **बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, श्रीनगर तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया** को भेजें ।

इसी के साथ अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया ।

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया ।